अनुसूची–१८ –फारम सं0 ९६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२८)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 23/2012

शारदा कुंवर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर,छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
09.04.2015	यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा वाद संख्या 8940/2014 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2014 से संबंधित है। यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 341/आ0, दिनांक 03.03.2012 के विरुद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.2011 को शारदा कुंवर, ज0वि0प्र0वि0, अनु सं0–02/2010, पंचायत–सिसई, प्रखंड–बनियापुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई– (1) निरीक्षण के समय 10:45 बजे पूर्वाह्न में दूकान बंद पाई गई तथा विक्रेता अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण दूकान से संबंधित पंजियों की जांच नही की जा सकी। (2) विक्रेता की दूकान से संबद्ध कतिपय उपभोक्ताओ के द्वारा बयान दर्ज कराया गया कि उन्हे विक्रेता के द्वारा 20 कि0ग्रा0 की आपूर्ति कर 140 रुपया मूल्य की वसूली की जाती है। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा के ज्ञापांक 547, दिनांक 04.01.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें प्रसंग में अपना जवाब अनुलग्नक सहित उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति अपने ज्ञापांक 341/आ0/ [illegible]03.2012 के द्वारा रद्द कर दी गयी, जिसके विरुद्ध यह अपील	

वाद दाखिल है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी एक वृद्ध विधवा है। दिनांक 14.11.2011 की रात्रि में विकेता के पेट में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो गई। स्थिति के ज्यादा बिगड़ने पर उनका लड़का उन्हें 15.11.2011 को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। अतः जांच की तिथि को उनकी दूकान बंद पाई गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा अपने एक आदेश में कहा गया है कि दूकान का केवल एक दिन बंद पाया जाना ऐसी अनियमितता नही है, जिसे आधार बनाकर विकेता की अनुज्ञप्ति रद्द करने जैसी गंभीर कार्रवाई की जाए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि जहां तक कारण पृच्छा में अंकित दूसरे आरोप का प्रश्न है, उस संबंध में कहना है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विकेता के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, इससे संबंधित कोई विवरणी कारण पृच्छा वाले पत्र में अंकित नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा जांच की तिथि को दूकान बंद रखकर अन्य अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रहने दिया जाए।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत यह पाता हूँ कि निरीक्षण के कम में दूकान के बंद पाए जाने का कारण विकेता के द्वारा तबीयत खराब होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि विकेता की दूकान से संबंधित कागजात/ पंजी मंगवाकर जांच करते हुए जांच के कम में यदि कोई अनियमितता पाई जाती तो कारण पृच्छा प्राप्त करके तब कार्रवाई की जाती। इसी प्रकार, अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह स्पष्ट रूप से अंकित नही किया

गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप लगाए गए थे। विक्रेता के विरुद्ध जांच के कम में पाई जाने वाली किसी भी प्रतिकूल बिन्दु के संबंध में आरोपी को उसकी स्पष्ट विवरणी उपलब्ध कराकर कारण पृच्छा करना आवश्यक है।

अतः ऐसी परिस्थिति में, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पाकर उसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 221 /न्यायालय, दिनांक 10/4/15

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त आदेश को इस जिले के website पर upload करने का कष्ट किया जाए।

जिला विधि शाखा, सारण

10/4/15